यौन उत्पीड़न के आरोप में माकपा पदाधिकारी गिरफ्तार

पालक्काड, 3 अक्तूबर (भाषा)।

पुडुनगरम जिले के एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के शाखा सचिव को 10वीं कक्षा की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना 30 सितंबर को हुई, जब लड़की आरोपी एन शाजी की दुकान पर गई थी।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

सार्वजनिक सूचना

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) अनुबंध (क) के मामले में तथा

ज्योति सरव प्रिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पंजीकृत कार्यालय जी एफ 25-ए, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग 21 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001

...आवेदक

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केन्द्र सरकार, के समक्ष आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय ''दिल्ली राज्य'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में स्थानान्तरित करने के लिए 02 मई, 2025 को इसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की माँग की गयी है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

ज्योति सरव प्रिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन : U45201DLZ004PTC129480
पंजीकृत कार्यालय जी एफ 25-ए, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग 21 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001

आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से
ज्योति सरव प्रिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
उदयवीर सिंह
निदेशक
डीआईएन : 00071877

दिनांक : 03.10.2025
स्थान : नई दिल्ली

डीजीएचएस ने जारी किया परामर्श

पांच साल से छोटे बच्चे को ना दें कफ सिरप

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

सलाह में कहा गया कि किसी भी दवा के इस्तेमाल से पहले सावधानीपूर्वक नैदानिक मूल्यांकन, कड़ी निगरानी और उचित खुराक, कम से कम प्रभावी अवधि और कई दवाओं के संयोजन से बचने का सख्ती से पालन होना चाहिए। इसके अलावा, डाक्टरों द्वारा दिए गए नुस्खे का पालन करने के बारे में जनता को भी जागरूक किया जाना चाहिए।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर पांच साल से कम बच्चों को कफ सिरप न देने की सलाह दी है। डीजीएचएस डा सुनीता शर्मा ने जारी सलाह में कहा कि बच्चों में होने वाली अधिकांश तीव्र खांसी अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। कई बार इनमें दवाओं की जरूरत नहीं होती। ऐसे में दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और जुकाम की दवाएं नहीं देनी चाहिए।

वहीं आमतौर पर पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप न देने की सलाह दी जाती है। अपनी सलाह में उन्होंने कहा कि किसी भी दवा के इस्तेमाल से पहले सावधानीपूर्वक नैदानिक मूल्यांकन, कड़ी निगरानी और उचित खुराक, कम से कम प्रभावी अवधि और कई दवाओं के संयोजन से बचने का सख्ती से पालन होना चाहिए। इसके अलावा, डाक्टरों द्वारा दिए गए नुस्खे का पालन करने के बारे में जनता को भी जागरूक किया जाना चाहिए। सभी केंद्रों पर उचित स्तर की दवा की उपलब्धता होनी चाहिए।

वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि मध्य प्रदेश में बच्चों की मौतों का संबंध कफ सिरप के सेवन से बताया गया। इस मामले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) सहित अन्य के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। राज्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय में विभिन्न कफ सिरप सहित अन्य के नमूने एकत्र किए गए। इनकी जांच के बाद किसी भी नमूने में डायथिलीन ग्लाइकाल (डीईजी) या एथिलीन ग्लाइकाल (ईजी) नहीं पाया गया। यह ऐसे संदूषक हैं जो गुर्दे को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एसएफडीए) ने भी तीन नमूनों का परीक्षण किया। इनमें भी डीईजी/ईजी की अनुपस्थिति पाई गई। हालांकि एनआईवी पुणे द्वारा सामान्य रोगजनकों के लिए रक्त व सीएसएफ के अन्य नमूनों का परीक्षण किया गया है। इस जांच में एक मामला लेप्टोस्पायरोसिस के लिए सकारात्मक पाया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि नीरी, एनआईवी पुणे और अन्य प्रयोगशाला जल, कीटविज्ञान वाहकों और श्वसन नमूनों के नमूनों की जांच कर रहा है। एनसीडीसी, एनआईवी, आईसीएमआर, एम्स नागपुर और राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के विशेषज्ञों की एक बहु-विषयक टीम रिपोर्ट किए गए मामलों के सभी संभावित कारणों की जांच कर रही है।

वहीं राजस्थान में दूषित कफ सिरप के सेवन से दो बच्चों की मौत के मामले में जांच के बाद पाया गया कि उक्त उत्पाद में प्रोपिलीन ग्लाइकाल नहीं है। .जो दूषित पदार्थों, डीईजी/ईजी का संभावित स्रोत हो सकता है। इसके अतिरिक्त, संदर्भित उत्पाद एक डेक्सट्रोमेथार्फन-आधारित सूत्रीकरण है, जिसे बाल चिकित्सा के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है।

केरल के विधायक मोहनन से मारपीट के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

कन्नूर, 3 अक्तूबर (भाषा)।

उत्तरी केरल में कन्नूर जिले के करियाड में पूर्व मंत्री और कुथुपरम्बा के विधायक केपी मोहनन के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह घटना गुरुवार को उस समय हुई जब वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के विधायक मोहनन पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे करियाड के पेरिंगथुर में एक आंगनबाड़ी का उद्घाटन करने पहुंचे थे।

पुलिस ने बताया कि आरोपी इलाके के निवासी हैं और वे एक धर्मार्थ न्यास द्वारा संचालित डायलिसिस केंद्र द्वारा किए जा रहे कचरा निस्तारण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

चोकली पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार करीब 15 लोगों ने मोहनन का रास्ता रोककर इलाके में यातायात बाधित किया और दंगा करने की कोशिश की। घटना के कई वीडियो में भीड़ द्वारा रोके जाने के बाद मोहनन अपनी कार से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह जैसे ही उद्घाटन स्थल की ओर बढ़ने लगे, भीड़ ने उन्हें रोक लिया जिसके बाद धक्का-मुक्की हुई।

भाजपा ने आदित्य साहू को झारखंड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू को पार्टी की झारखंड इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। भाजपा ने एक बयान में कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह नियुक्ति की है।

साहू पूर्व सांसद रवींद्र कुमार रे का स्थान लेंगे, जिन्हें राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले गत वर्ष अक्तूबर में यह प्रभार सौंपा गया था। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराकर सत्ता कायम रखी। राय की नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर ही उन्हें बदलने का पार्टी का निर्णय राज्य इकाई को पुनर्गठित करने तथा पूर्वी राज्य में संगठनात्मक तंत्र को मजबूत करने के पार्टी के प्रयास को रेखांकित करता है।

जगदीश विश्वकर्मा संभालेंगे गुजरात की कमान गुजरात के मंत्री और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नेता जगदीश विश्वकर्मा का सत्तारूढ़ भाजपा की राज्य इकाई का नया अध्यक्ष बनना तय हो गया है, क्योंकि शुक्रवार को इस पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले वह एकमात्र उम्मीदवार रहे। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी।

आधिकारिक रूप से विश्वकर्मा को प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा शनिवार को गांधीनगर स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में होगी। हालांकि, पार्टी ने विश्वकर्मा को 'अध्यक्ष-निर्वाचित' घोषित कर दिया है, क्योंकि उनके अलावा किसी ने भी इस पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और मीडिया समन्वयक यज्ञनेश दवे ने कहा कि विश्वकर्मा भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष-निर्वाचित हैं।

'कृषि विश्वविद्यालयों की 20 फीसद स्नातक सीट पर दाखिला आइसीएआर की प्रवेश परीक्षा से'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

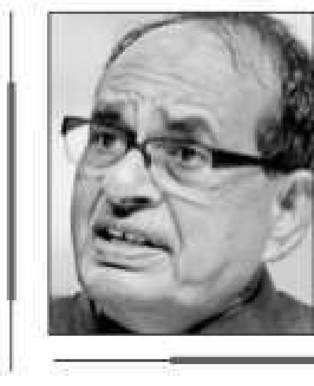

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि इससे दाखिला संबंधी समस्या का समाधान निकल आएगा।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कृषि स्नातकों से संबंधित एक जटिल मुद्दे का समाधान कर, छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत दी है। अब देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों की 20 फीसद स्नातक सीट पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) की ओर से आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए छात्रों को दाखिला मिल सकेगा।

'एक देश-एक कृषि-एक टीम' की भावना के अनुरूप, देशभर में पात्रता मानदंड एवं विषय समूहों को एक समान कर दिया गया है। इससे 12 वीं में जीव विज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिकी, गणित या कृषि, विषय समूह वाले विद्यार्थियों को समान पात्रता के आधार पर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (सीयूइटी-आइसीएआर) में शामिल होकर कृषि क्षेत्र में स्नातक की पढ़ाई का मौका मिल सकेगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने दिल्ली में संवाददाताओं से चर्चा में बताया, कृषि स्नातक (बीएससी, कृषि) में दाखिला संबंधी समस्या का छात्र-छात्राओं को सामना करना पड़ रहा था। विभिन्न विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए 12 वीं में अलग-अलग विषय संयोजन और राज्यों के नियमों और पात्रता मानदंडों की वजह से कृषि क्षेत्र में शिक्षा के अवसर से चूक जाते थे। पिछले कुछ दिनों के दौरान विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्याएं बताई थीं।

केंद्रीय मंत्री चौहान इस मामले में संज्ञान लेते हुए आइसीएआर के महानिदेशक डा. मांगी लाल जाट को निर्देश दिया कि वे राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों एवं उनके कुलपतियों के साथ बातचीत कर, इसका त्वरित हल ढूंढने की दिशा में काम करें। इस कदम से देश भर के छात्र-छात्राओं को कृषि शिक्षा के लिए समान अवसर मिलेंगे। इस पहल से शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से बीएससी. (कृषि) में प्रवेश संबंधित जटिलताएं दूर होंगी, जिसका सीधे तौर पर करीब तीन हजार छात्रों को मिलेगा।

सभी कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रों को मिलेगा फायदा : कृषि मंत्री ने बताया कि बीएससी (कृषि) में आइसीएआर सीटें प्रदान करने वाले 50 कृषि विश्वविद्यालयों में से 42 ने एबीसी (एग्रीकल्चर, बायोलाजी, केमिस्ट्री) विषय संयोजन को पात्रता मानदंड के रूप में स्वीकार कर लिया है।

इसके अलावा 3 विश्वविद्यालयों ने पीसीए (फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर) संयोजन को भी स्वीकार कर लिया है। इस प्रयास के तहत 2025-26 में बीएससी (कृषि) में आइसीएआर कोटे के तहत उपलब्ध 3121 सीटों में से करीब 2700 सीटें (करीब 85 फीसद) 12वीं कृषि/इंटर-कृषि विषय वाले छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध होंगी।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. **NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.** INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE BSE LIMITED ("**BSE**") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("**NSE**", AND TOGETHER WITH BSE, THE "**STOCK EXCHANGES**") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("**SEBI ICDR REGULATIONS**")

(Please scan this QR code to view the Corrigendum)

FOOD & LINK
as exclusive as you

FOODLINK F&B HOLDINGS (INDIA) LIMITED

Our Company was originally incorporated as "Foodlink F&B Holdings (India) Private Limited" a private limited company under the Companies Act, 2013 through a certificate of incorporation dated October 28, 2015, issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("**RoC**"). The name of the Company was thereafter changed to "Foodlink F&B Holdings (India) Limited" upon conversion to a public limited company pursuant to a Board resolution dated December 6, 2024 and a special resolution passed in the extraordinary general meeting of the Shareholders held on December 10, 2024, and consequently a fresh certificate of incorporation dated February 18, 2025, was issued by the RoC to reflect the change in name. For further details, see "*History and Certain Corporate Matters – Brief History of our Company*" on page 227 of the draft red herring prospectus dated June 27, 2025 ("**DRHP**") filed with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") and with Stock Exchanges.

Registered and Corporate Office: 301, Safal Pride, Opp. Saras Baug, Sion Trombay Road, Deonar, Mumbai– 400088, Maharashtra, India; **Contact Person:** Manoj Arvind Dere, Company Secretary and Compliance Officer; **Tel**: (+91) 22 6118 9999; **E-mail**: secretarial@foodlink.in; **Website**: www.foodlink.global; **Corporate Identity Number**: U74120MH2015PLC269627

OUR PROMOTER: SANJAY MANOHAR VAZIRANI

Corrigendum to the DRHP (the "Corrigendum") – Notice to Investors

This Corrigendum is with reference to the DRHP filed by Foodlink F&B Holdings (India) Limited (the "**Company**") with SEBI and the Stock Exchanges in relation to the Offer. In this regard, potential Bidders please note the following:

The details of Nomination and Remuneration Committee on page 247 of the DRHP should be read as below:

Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee was constituted by the meeting of our Board held on June 12, 2025 and was later re-constituted by the meeting of our Board held on September 26, 2025. The Nomination and Remuneration Committee is in compliance with Section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 19 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The members of the Nomination and Remuneration Committee are:

Name of the Director	Position in the Committee	Designation
Dhananjay Mungale	Chairman	Independent Director
Farhat Jamal	Member	Independent Director
Kenneth Serrao	Member	Non-Executive Nominee Director

The DRHP shall be read in conjunction with this Corrigendum. The information in this Corrigendum supersedes the information provided in the DRHP to the extent inconsistent with the information in the DRHP. The DRHP stands amended to the extent stated hereinabove. Please note that this Corrigendum does not reflect any changes that have occurred between the date of filing of the DRHP and the date hereof, and the information included in the DRHP will be suitably updated, including to the extent stated in this Corrigendum, as may be applicable, in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER
equirus	JM Financial	MUFG
Equirus Capital Private Limited Unit No. 2601B, 26th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, Maharashtra, India **Tel**.: +91 22 4332 0700; **E-mail**: foodlink.ipo@equirus.com **Website**: www.equirus.com **Investor grievance e-mail**: investorsgrievance@equirus.com **Contact person**: Jenny Bagrecha **SEBI Registration Number**: INM000011286	**JM Financial Limited** 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 6630 3030 **E-mail:** foodlink.ipo@jmfl.com **Website:** www.jmfl.com **Investor Grievance ID:** grievance.ibd@jmfl.com **Contact person:** Prachee Dhuri **SEBI Registration Number:** INM000010361	**MUFG Intime India Private Limited** ***(Formerly Link Intime India Private Limited)*** 101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Maharashtra, India - 400083 **Tel:** +91 81081 14949 **E-mail:** foodlink.ipo@in.mpms.mufg.com **Website:** www.in.mpms.mufg.com **Investor grievance e-mail:** foodlink.ipo@in.mpms.mufg.com **Contact person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration No.:** INR000004058

All capitalised terms used, but not defined, in this Corrigendum shall, unless the context otherwise requires, have the same meaning as ascribed in the DRHP.

For **FOODLINK F&B HOLDINGS (INDIA) LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Manoj Arvind Dere
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: October 3, 2025

FOODLINK F&B HOLDINGS (INDIA) LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated June 27, 2025, with SEBI and the Stock Exchanges. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.foodlink.global; and on the websites of the Book Running Lead Managers (**BRLMs**), i.e. Equirus Capital Private Limited and JM Financial Limited at www.equirus.com and www.jmfl.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see *"Risk Factors"* on page 37 of the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges for making any investment decision and should instead rely on the RHP, for making investment decision.

This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act or an exemption from such registration. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in *"offshore transactions"* as defined in and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer or the selling security holder and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. No offering or sale of securities in the United States is contemplated.

Adfactors 488/25

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लि.
पंजीकृत कार्यालयः 501, सैलकॉन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली - 110025
CIN: U65900DL2020PLC366027

नीलामी सूचना

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित उधारकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी विभिन्न मांगों और सूचनाओं, जिसमें व्यक्तिगत सूचनाएं भी शामिल हैं, के बावजूद उनके द्वारा बैंक से लिए गए गोल्ड लोन का समायोजन नहीं किया गया है। सभी उधारकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के पास सुरक्षा के रूप में रखे गए सोने के आभूषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार, जिस शाखा से ऋण लिया गया था, उसी शाखा परिसर में **सुबह 11:00 बजे** का समय निर्धारित किया गया है। सभी, जिसमें उधारकर्ता, खाताधारक और आम जनता शामिल हैं, नीलामी की शर्तों और नियमों के अनुसार इस नीलामी में भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तारीख 14.10.2025 को सुबह 11:00 बजे

क्र.सं.	शाखा	खाता सं.	खाता धारक का नाम
1	आलमबाग	102342511155	अनुज सिंह
2	आलमबाग	102342511382	आरती वर्मा
3	आलमबाग	102346510051	हिना, लखनऊ
4	इंदिरापुरम	101942523016	मोहित के मिश्र

बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी से किसी भी खाते को हटाने या नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लि.

महाराष्ट्र सरकार ने सभी विद्यालयों को पूर्व छात्र संघ बनाने के दिए निर्देश

मुंबई, 3 अक्तूबर (भाषा)।

महाराष्ट्र सरकार ने एक शासनादेश (जीआर) जारी कर सभी विद्यालयों को पूर्व छात्र संघ (अलुमनाई एसोसिएशन) बनाने के निर्देश दिए हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने एक अक्तूबर को जारी किए गए शासनादेश का जिक्र करते हुए कहा कि उनमें जिला परिषदों और नगर निगमों द्वारा संचालित विद्यालय, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालय भी शामिल हैं।

शासनादेश में कहा गया है कि पहली से 12वीं कक्षाओं तक के हर विद्यालय में एक पूर्व छात्र संघ होगा, जिसमें पूर्व विद्यार्थियों के साथ-साथ सलाहकार सदस्य जैसे प्रधानाचार्य, एक शिक्षक, एक अभिभावक प्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के अधिकारी होंगे। पूर्व छात्र संघों से अपेक्षा की जाएगी कि वह योगदान दें।

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
HINDUJA HOUSING FINANCE
कॉर्पोरेट कार्यालयः नंबर 167-169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015,
शाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, डी-59/103, डी-4, आशा कुंज, महमूरगंज रोड, सिगरा, वाराणसी, यूपी 221010
आरएलएम :श्री ब्रजेश अवस्थी- 9918301885, सीएलएम-श्री दुर्गेश सिंह 8858455634

आरएलएम :श्री ब्रजेश अवस्थी- 9918301885, सीएलएम-श्री दुर्गेश सिंह 8858455634

सांकेतिक कब्जे की सूचना

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 3) के तहत हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहते हुए कर्जदार (इसके बाद कर्जदार और गारंटरों को सामूहिक रूप से 'कर्जदार' के रूप में संदर्भित) को प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर एक मांग सूचना जारी की थी। कर्जदारों द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, विशेष रूप से कर्जदारों और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम,2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन राशि तथा उस पर होने वाले आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि सहित उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज के लिए हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सम्बन्ध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क. सं.	आवेदन सं./उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना तिथि/ कब्जे की तिथि	बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण
1	**आवेदन संख्या UP/AZM/AZAM/A000000201 श्री विजय बहादुर यादव पुत्र श्री राम बरन यादव,** पता-ग्राम शेरपुर, खुटहन, अंगुली, एसटीपी ब्रिक क्लिन, शहरी, शाहगंज, उत्तर प्रदेश, भारत -223102 श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री विजय बहादुर यादव, पता चकचौखंडा भटपुरा, रसूलपुर, शहरी, शाहगंज, उत्तर प्रदेश, भारत -223102	14-06-2025 29-09-2025	मांग सूचना के अनुसार कुल बकाया राशि रु. 13,65,639/-	मौजा शेरपुर (खुटहन) परगना अंगुली तहसील शाहगंज व जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश-232102 में स्थित खसरा संख्या 398 के एक भाग में एक आवासीय मकान स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 286.32 वर्ग मीटर है। पूर्व में बंश बहादुर व लाल बहादुर की भूमि, पश्चिम में बंश बहादुर व अन्य की भूमि, उत्तर में सड़क 10 फीट, दक्षिण में बंश, लाल व विजय बहादुर की कृषक भूमि।
2	**आवेदन संख्या UP/AZM/AZAM/A000000347 श्री अब्दुल सामी पुत्र श्री अब्दुल अजीज,** पता-देवरिया लाला, बुजुर्ग, मस्जिद के पास, ग्रामीण, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, भारत-224137, श्रीमती नजमा खातून पत्नी श्री अब्दुल सामी, पता-देवरिया लाला, बुजुर्ग, मस्जिद के पास, ग्रामीण, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, भारत - 224137	14-06-2025 29-09-2024	मांग सूचना के अनुसार कुल बकाया - रु. 4,09,263/-	एक आवासीय मकान गाटा संख्या 8 एमआई, क्षेत्रफल 260.30 वर्ग मीटर, मौजा देवरिया लाला, टप्पा परगना बिधेर तहसील आलापुर व जिला अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश- 224137, पूर्व प्रस्तावित सड़क, पश्चिम-मोहम्मद अहमद की जमीन, उत्तर- सड़क 12 फीट, दक्षिण-विक्रेता का हिस्सा
3	**आवेदन संख्या UP/ABD/SHGH/A000000204 श्री विनय कुमार पुत्र श्री फूलचंद्र,** पता - ग्राम नाथूपुर, पोस्ट कपासी, कोरांव, स्वास्थ्य केंद्र के पास, ग्रामीण, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत 212306 श्रीमती खुशबू सोनकर पत्नी श्री विनय कुमार, पता- ग्राम नाथूपुर, पोस्ट कपासी, कोरांव, स्वास्थ्य केंद्र के पास, ग्रामीण, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-212306 श्रीमती फुलवंती पत्नी श्री फूलचंद्र, पता - ग्राम नाथूपुर, पोस्ट कपासी, कोरांव, स्वास्थ्य केंद्र के पास, ग्रामीण, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत 212306	14-06-2025 29-09-2024	मांग के अनुसार कुल बकाया रु. 14,68,714/-	मौजा नथौपुर, परगना, खैरागढ़, तहसील कोरांव और जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 212306 में स्थित आराजी संख्या 124 के एक हिस्से में एक आवासीय मकान स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 265 वर्ग मीटर है। , पूर्व में जावर अली का मकान, पश्चिम में राज.श व अन्य का मकान, उत्तर में लिंक मार्ग, दक्षिण में आराजी का भाग
4	**आवेदन संख्या UP/KNP/VRSI/A000002031 श्री संदीप कुमार सरोज श्री मंशा राम के पुत्र,** मकान संख्या 30, बीरापालपुर, अर्धनगरीय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत-222132 श्रीमती रीना देवी पत्नी श्रीसंदीप कुमार सरोज, पता मकान संख्या 30, बीरापालपुर, अर्धनगरीय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत-222132 श्री मंशा राम पुत्र, श्री चौथी राम, पता- मकान संख्या 30, बीरापालपुर, अर्धनगरीय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत-222132	14-06-2025 29-09-2024	मांग सूचना के अनुसार कुल बकाया रु. 24,77,030/-	मौजा वीलपालपुर, परगना हवेली, तहसील सदर व जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222132 में स्थित आराजी संख्या 538 व 549 के भाग में एक आवासीय मकान स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 395 वर्ग फुट है। पूर्व में मंशाराम सरोज की भूमि, पश्चिम में बुझावन का मकान, उत्तर में पक्की रोड, दक्षिण में मंशाराम सरोज की भूमि।

दिनांकः 04.10.2025, स्थानः वाराणसी
प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आनलाइन गेम खेलते समय बेटी से कहा अभद्र तस्वीरें भेजो : अक्षय कुमार

मुंबई, 3 अक्तूबर (भाषा)।

बालीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने शुक्रवार को कहा कि उनकी किशोर बेटी को मोबाइल पर आनलाइन वीडियो गेम खेलते समय उसकी अभद्र तस्वीर भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने सूझबूझ दिखाते हुए डिवाइस बंद कर दिया। अभिनेता ने मुंबई में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के समक्ष इस परेशान करने वाली घटना को साझा किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे।

घटना के बारे में बताते हुए अभिनेता ने कहा कि कुछ महीने पहले उनकी बेटी आनलाइन वीडियो गेम खेल रही थी, तभी उसका संपर्क एक अजान व्यक्ति से हुआ, जिसने शुरुआत में दोस्ताना और उत्साहवर्धक संदेश भेजे। अभिनेता ने बताया कि इसके बाद उस व्यक्ति ने अचानक उनकी बेटी से उसकी अभद्र तस्वीर भेजने को कहा। अक्षय ने बताया कि उनकी बेटी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत मोबाइल फोन बंद कर दिया और अपनी मां के पास गई तथा उन्हें घटना के बारे में बताया।

अभिनेता ने कहा कि उनकी बेटी की सतर्कता ने उसे साइबर अपराधियों का शिकार होने से बचा लिया। दक्षिण मुंबई स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में 'साइबर जागरूकता माह' के उद्घाटन के बाद अभिनेता ने फडणवीस से अनुरोध किया कि राज्य में कक्षा सात से 10 तक के छात्रों को उनके स्कूलों में साइबर जागरूकता सिखाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि बेटी ने अपनी मां से इस बारे में बात की। अभिनेता ने कहा कि यह साइबर अपराध का एक हिस्सा है, जहां बच्चे बहक जाते हैं। कुछ मामलों में लोगों को जबरन वसूली का सामना करना पड़ता है और कई घटनाएं घटित होती हैं। ऐसे कई मामले हैं जहां पीड़ित अपनी जान ले लेते हैं। अभिनेता ने कहा कि स्कूल में हम इतिहास और गणित पढ़ते हैं।